Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

// आदेश //

रायपुर, दिनाँक 05/12/2015

क्रमांक 8063 /2807/स्था/वि–3/ग्रा.यां.सेवा/2015 :: छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनाँक 14.06.2013 के परिपालन में **श्री रवि प्रशान्त कुमार पिता स्व. श्री उदित कुमार** की अनुकंपा नियुक्ति, **सहायक वर्ग–3** के पद पर वेतनमान रुपये 5200–20200 ग्रेड वेतन रुपये 1900 एवं समय–समय पर देय अन्य भत्ते पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर **कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर** में पदभार ग्रहण करने के दिनाँक से की जाती है। नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार है :–

(1) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम 1960 के नियम–12 के अनुसार उम्मीद्वार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।

(2) उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों पर देय रकम संबंधित से भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(3) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार परिवीक्षा समाप्त होने की दिनांक से नियमित नियुक्ति मानी जावेगी। सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(4) उम्मीदवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र उपस्थिति दिनांक के 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । वेतन का पहली बार आहरण स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा।

(5) उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम '19' के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(6) नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

निरंतर...2...

(7) उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 30 दिनों के अंदर अपने नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान में कार्यालयीन समय/दिवस पर संबंधित अधिकारी को उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा यह मानकर कि वे इस पद पर नहीं आना चाहते हैं, उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा। नियुक्ति आदेश छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट (http://cgstate.gov.in) एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पोर्टल (http://cg.nic.in/resworks) से डाऊनलोड कर पदस्थापना कार्यालय में निर्धारित अवधि के अंदर उपस्थित देवें ।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनाँक 29 जून, 2013 की कंडिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप (एक) में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के वेबसाईट (http://cg.nic.in/resworks) में उपलब्ध है।

(9) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रमुख सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर उपस्थिति स्वीकार करने की की सूचना लिखित में 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय को देंगे ।

(10) दस्तावेजों के सत्यापन में कोई भी तथ्य/जानकारी गलत/नियमों के विपरीत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(11) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण पत्र में यदि आपराधिक गतिविधियां पायी जाती है अथवा शासकीय सेवा से अयोग्य घोषित किया जाता है तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी । इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें तथा सेवा पुस्तिका में इसकी प्रवृष्टि की जावे ।

(12) आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी /प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित अधिकारी का बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक किया जावेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(13) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी–761/वि/नि./चार/4, दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नयी परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

(14) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी उक्त पद एवं वेतनमान पर पदस्थ/स्थानांतरण किया जा सकता है, इसके विरूद्ध कोई अभ्यावेदन या याचिका स्वीकार्य नहीं की जावेगी।

(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

5/11/2015

(एस.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. 8064/2807/स्था/वि–3/ग्रा.यां.सेवा/14 रायपुर, दिनाँक 05/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स **(CHiPS),** आरडीए बिल्डिंग द्वितीय तल, शास्त्री चौक, जी.ई. रोड रायपुर, छत्तीसगढ़ को उक्त आदेश की प्रति शासकीय पोर्टल में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
4. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र **(NIC)** रायपुर छत्तीसगढ़ को उक्त आदेश की प्रति ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पोर्टल में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर।
7. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर।
8. श्री रवि प्रशान्त कुमार पिता स्व. श्री उदित कुमार, गंगानगर, सेक्टर–2, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। कृपया अनुप्रमाणन प्रमाण पत्र 3 प्रतियों में (संलग्न प्रपत्र में) शपथ पत्र के साथ उपस्थिति देते समय प्रस्तुत करें, जिससे पुलिस सत्यापन कराया जा सके।

5/11/15

मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर